

सं0सं0-3 / टी0-01-10/2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शेखर चन्द्र वर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

पटना, दिनांक : - 25/11/2015

विषय :-

डा० अरुण कुमार वाजपेयी, पूर्व मलेरिया पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी, सम्प्रति प्रतिनियुक्त अधीक्षक, पी०ए०सी०ए०, पटना का कार्यालय को विरमित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि डा० अरुण कुमार वाजपेयी को विभागीय आदेश संख्या 377(3) दिनांक 11.09.2015 के द्वारा चिकित्सीय कार्य हेतु अधीक्षक, पी०ए०सी०ए०, पटना के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त आलोक में डा० वाजपेयी ने दिनांक 12.09.2015 के पूर्वाहन में उक्त संस्थान में अपना योगदान समर्पित किया।

2. विभागीय पत्रांक 437(3) दिनांक 12.10.2015 के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि पूर्व में विभिन्न जिलों में कार्यरत जिला मलेरिया पदाधिकारी जो अतिरेक हो गये हैं, को पदस्थापित जिला में हीं चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर संबंधित सिविल सर्जन द्वारा एक पक्ष के अन्दर सामंजित कर लिया जाय।

3. विदित हो कि डा० अरुण कुमार वाजपेयी, जिला मलेरिया पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर कार्यरत थे। विभागीय अधिसूचना सं0 255(3) दिनांक 30.06.2015 के द्वारा डा० के०सी० कुमार को जिला भेक्टर बौर्न डिजिज नियंत्रण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पद पर पदस्थापित किये जाने के कारण डा० वाजपेयी अतिरेक हो गये। डा० वाजपेयी ने डा० कुमार को 14.07.2015 को प्रभार सौंप कर दिनांक 17.07.2015 को स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय में पदस्थापन की प्रतीक्षा में योगदान किया था।

4. अतः निदेशानुसार कहना है कि विभागीय पत्रांक 437(3) दिनांक 12.10.2015 के आलोक में डा० वाजपेयी को विरमित किया जाता है, साथ हीं यह निदेश है कि डा० वाजपेयी को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर सामंजित कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करायी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : - 494 (3)

/स्वा०, पटना, दिनांक : - 25/11/2015

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/अधीक्षक, पी०ए०सी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अधीक्षक, पी०ए०सी०ए०, पटना को निदेश दिया जाता है कि डा० अरुण कुमार वाजपेयी को पत्र प्राप्ति के पश्चात अविलम्ब विरमित कर दें।

प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—डा० अरुण कुमार वाजपेयी, चिकित्सा पदाधिकारी(पदस्थापन की प्रतीक्षा में) प्रतिनियुक्त अधीक्षक कार्यालय, पी०ए०सी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—२ एवं ३ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि—विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।
25/11/2015